3 4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[अदा]लत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

बाबूलाल बनाम सरकार

[मु]कदमा अपील नामान्तकरण नं० 6/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/10/22	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट हाजिर। इन्तजार तामील दिनांक 31-10-2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
31/10/22	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोण्डेन्ट बावजूद तामील उपस्थित नहीं। कार्यवाही एकपक्षीय की जाती है रिपोर्ट J.L.R. व पटवारी हल्का उनबडागाँव प्रस्तुत होकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दि० 10/11/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
10/11/22	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित। बहस मकुलाम सुनी गयी। वास्ते आदेश दि० 11-11-22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
11/11/22	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्टगण द्वारा विरुद्ध रेस्पोन्डेन्ट अपील आदेश ग्राम पंचायत उनबडागाँव तह. बसवा निर्णय दिनांक 15-10-72 नामान्तकरण सं. 30 के विरुद्ध इस आशय की पेश की कि ग्राम उनबडागाँव	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कार्यवाही 6/31 हुक्मनाम पद सरकार
	ता० ० तहसील जिला - दौसा में स्थित कृषि भूमि वर्तमान ख-नं- 1068 रकबा 1.26 हैक्टेयर के मौके पर कपीलान्ट व कपीलान्ट के बुजुर्गों का कब्जा 50 वर्ष से भी अधिक समय से चला आ रहा है। भूमि उबड़-खाबड़ को काफी लागत लगाकर काबिल काश्त बनाया है। जिसमें सरसों की फसल काश्त है। उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट भौरया पुत्र पांचू जाति-कोली का कोई वास्ता नहीं है। सैटलमेन्ट पूर्व ख-नं- 354/6/1077 थे। उक्त भूमि बेजड़, बीहड़ भूमि थी, जिसका कानूनन आवंटन, नियमन नहीं हो सकता था। ख-नं- 354 में 5 बीघा भूमि कभी भी भौरया पुत्र पांचू को आवंटन नहीं हुई है। पटवारी हल्का ने विधि विरुद्ध बिना किसी सक्षम आदेश के उक्त ख-नं- 354 में से 5 बीघा भूमि का अलाटमैन्ट दिखाकर नामान्तकरण संख्या 90 ग्राम-अबडागांव भरकर गिरदावर जांच को पेश किया। गिरदावर ने अपनी जांच में स्पष्ट लिखा है कि पट्टे के साथ पेश किया जावे। किन्तु ना तो अलाटमेन्ट पेश किया। ना ही पट्टा पेश किया। सरपंच ग्राम पंचायत उन-बडागांव द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के एवं बिना किसी सक्षम आदेश आवंटन पट्टा के नामान्तकरण सं. 90 दिनांक: 14-10-1972 तस्दीक कर दिया। जो निरस्त योग्य है। भौरया पुत्र पांचू

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

प्रकरण 6/21 फकुलाल vs सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
े उसके वारिसान को पक्षकार बनाया।	
ेलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 16.11.2021 को	
ी भूमि की रखवाली कर रहे थे के	
न पटवारी हल्का उन बड़ागांव मौके पर	
ा तब अपीलान्ट को बताया कि उक्त	
े दीगर व्यक्ति के नाम दर्ज है तदुपरान्त	
नीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है	
स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण	
स्त किया जावे। अपील मियाद प्रा०पत्र	
ा-5 कानून मियाद एवं प्रा०पत्र धारा-96	
P.C. नामांतकरण सं. 90 की प्रमाणित प्रति	
्तुत की।	
अपीलान्ट अपील दर्ज रजिस्टर कर	
ी रेस्पोडेन्ट की गयी। रेस्पोडेन्ट बावजूद	
ल उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध	
्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।	
री हल्का उनबड़ागांव, I.L.R. मोरूपाड़ा	
द्वारा प्रकरण में मौका/रिकार्ड की जाँच	
दिनांक 10.11.2022, 13.05.2022	
्त होकर शामिल पत्रावली है जिसके	
ार ग्राम - उनबड़ागांव की सिवायचक भूमि	
. 354 मि० मे से 5 बीघा भूमि	
न के आधार पर भौरआ पुत्र पॉचू कौम	
ी के नाम खातेदारी का नामान्तकरण ग्राम	
ायत द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त भूमि	
नवीन ख.नं. 1068 रकबा 1.26 हैक्ट० का	
आवंटन ...	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	द्वारा फैसल किया जाता है, यहाँ उक्त नामांतकरण ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निस्तारित किया गया है जो विधि विरुद्ध / त्रुटिपूर्ण है। हमने अपील अपीलान्टी वकील की बहस सुनी, बहस के दौरान अपीलान्टी वकील ने अपील में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया, तथा अपीलाधीन नामांतकरण सं. 90 दि० 14-10-1972 ग्राम-उनबडागाँव तह. बसवा जो बिना किसी सक्षम आदेश के ग्राम पंचायत उनबडागाँव द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर, विधिविरुद्ध स्वीकृत किया गया है। को निरस्त करने का निवेदन किया। हमने अपील प्रा०पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न राजस्व रिकार्ड, प्रमाणित प्रतिलिपि नामांतकरण सं 90 दि० 14-10-1972 ग्राम-उनबडागाँव, रिपोर्ट पटवारी हल्का उनबडागाँव का अवलोकन किया। बहस अपीलान्टी वकील पर मनन किया। प्रमाणित प्रतिलिपि नामांतकरण सं. 90 दिनांक: 14.10.1972 ग्राम-उनबडागाँव जो कॉलम सं. 05 में सिवायचक एवं कॉलम सं. 6 में ख-नं. 354 मि. रकबा 5 बीघा वर्णित है को कॉलम सं. 11 प्रविष्टी के औरया पुत्र पान्चु कौम कोली के प्रविष्टी सं-14 के अनुसार अलॉटमैन्ट भूमि व प्रविष्टी सं. 16 के नोट I.L.R. दिनांक: 13.12.1971 के पट्टे के साथ प्रेम करन

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

बाबूलाल बनाम सरकार

दफा अपील नामांतकरण नं० 6/2021 सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अंकित है कि तदुपरान्त सरपंच ग्राम पंचायत ऊनबड़ागाँव द्वारा नामांतकरण तस्दीक किया गया है। जिसके अनुसार भूमि गौरया पुत्र पान्नू कौम कोली के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है। यहाँ विधिवत यह देखना / जानकारी आवश्यक है कि फैसलशुदा नामांतकरण बाबत न तो भू० अ० नि० द्वारा की गयी टिप्पणी (पट्टा प्रस्तुत करने) की पूर्ति की गयी है, साथ ही आवंटित भूमि का नामांतकरण सर्वप्रथम गैर-खातेदारी के रूप में सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा तस्दीक किये जाने का प्रावधान है। जबकि नामांतकरण ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है जो विधि विरुद्ध होना प्रकट है। अतः उपरोक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि अपील अपीलांटी विरुद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामांतकरण सं. 90 दि० 14.10.72 ग्राम-ऊनबड़ागाँव तह. बसवा जिला-दौसा विधि विरुद्ध स्वीकृत होने से खारिज किया	

नामान्तकरण अपील

6/2024 बाबूलाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जाती है। तहसीलदार बसवा / बांदीकुई अपीलाधीन नामान्तकरण अनु निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल बाद तकमील दाखिल दफ्तर शुमार होकर उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई